रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 375] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 2015/ज्येष्ठ 15, 1937

No. 375] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 2015/JYAISTHA 15, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2015

सा.का.नि. 466(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 462 की उप-धारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और धारा 8 के साथ पठित उक्त धारा की उप-धारा (2) के अनुसरण में, तथा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के अधीन जारी अधिसूचनाओं को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है अथवा करने से लोप किया गया है, लोकहित में यह निदेश देती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के कतिपय उपबंध जो स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट है, किसी ऐसे निकाय को उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथा विनिर्दिष्ट अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू नहीं होंगे अथवा लागू होंगे जिसे पूर्वोक्त धारा 8 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है, अर्थात् :—

क्र.सं.	अधिनियम के उपबंध	अपवाद, उपांतरण और अनुकूलन
(1)	(2)	(3)
1.	धारा 2 का खंड (24)	धारा 2 के खंड (24) के उपबंध लागू नहीं होंगे।
2.	धारा 2 का खंड (68)	न्यूनतम समादत्त शेयरपूंजी होने की अपेक्षा लागू नहीं होगी।
3.	धारा 2 का खंड (71)	न्यूनतम समादत्त शेयरपूंजी होने की अपेक्षा लागू नहीं होगी।
4.	धारा 96 की उप-धारा (2)	उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- परंतु यह और कि कंपनी द्वारा अपनी साधारण अधिवेशन में इस संबंध में दिए गए किसी निदेश, यदि कोई हो, के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा सर्वप्रथम प्रत्येक वार्षिक साधारण अधिवेशन का समय, तारीख और स्थान पूर्व में निश्चित किया गया हो।

5.	धारा 101 की उपधारा (1)	उपधारा (1) में "इक्कीस से अन्यून स्पष्ट दिनों" शब्दों के स्थान पर, "चौदह से अन्यून स्पष्ट दिनों" शब्द रखे जाएंगे।
6.	धारा 118	पूरी धारा लागू नहीं होगी सिवाय इस बात के कि जहां ऐसी कंपनियों के संगम ज्ञापन में कार्यवृत्त की पुष्टि परिचालन द्वारा करने का उपबंध है, उनके मामले में प्रत्येक अधिवेशन के समाप्त होने के तीस दिन के भीतर कार्यवृत्त अभिलिखित किया जाए।
7.	धारा 136 की उपधारा (1)	उपधारा (1) में "इक्कीस दिन" शब्दों के स्थान पर, "चौदह दिन" शब्द रखे जाएंगे।
8.	धारा 149 की उपधारा (1) और उपधारा (1) पहला परंतुक	लागू नहीं होगा।
9.	धारा 149 की उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10), उपधारा (11), उपधारा (12) का खंड (i) और उपधारा (13)	लागू नहीं होगी।
10.	धारा 150	लागू नहीं होगी।
11.	धारा 152 की उपधारा (5) का परंतुक	लागू नहीं होगा।
12.	धारा 160	उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा जिनके अनुच्छेदों में मतपत्र द्वारा निदेशकों के चयन का उपबंध है।
13.	धारा 165 की उपधारा (1)	लागू नहीं होगी।
14.	धारा 173 की उपधारा (1)	उस सीमा तक ही लागू होगी कि ऐसी कंपनियों का निदेशक मंडल प्रत्येक छह मास में कम-से-कम एक अधिवेशन आयोजित करेगा।
15.	धारा 174 की उपधारा (1)	उपधारा (1) में, - (क) "कुल संख्या का एक तिहाई या दो निदेशकों, जो भी अधिक हो" शब्दों के स्थान पर "या तो आठ सदस्य या कुल संख्या का पचीस प्रतिशत, जो भी कम हो" शब्द रखे जाएंगे; (ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :- "परंतु गणपूर्ति दो सदस्यों से कम की नहीं होगी"
16.	धारा 177 की उपधारा (2)	"बहुमत बनाने वाले ऐसे स्वतंत्र निदेशकों के साथ" शब्दों का लोप किया जाएगा।
17.	धारा 178	लागू नहीं होगी।
18.	धारा 179	उपधारा (3) के खंड (घ), खंड (ड.) और खंड (च) में निर्दिष्ट मामलों का विनिश्चय अधिवेशन के बजाय बोर्ड द्वारा परिचालन से किया जाएगा।
19.	धारा 184 की उपधारा (2)	उन्हीं मामलों में लागू होगा जब धारा 188 के प्रति निर्देश में संविदा अथवा करार के निबंधनों और शर्तों के आधार पर संव्यवहार एक लाख रूपए से अधिक का हो।
20.	धारा 189	उन्हीं मामलों में लागू होगा जब धारा 188 के प्रति निर्देश में संविदा अथवा करार के निबंधनों और शर्तों के आधार पर संव्यवहार एक लाख रूपए से अधिक का हो।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अधीन आने वाली कंपनियां पूर्वोक्त सारणी के स्तम्भ (3) में यथाविनिर्दिष्ट अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों का अनुपालन करते हुए अपने शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 462 की उप-धारा (2) की अपेक्षानुसार इस अधिसूचना की एक प्रति संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रारूप रूप में रखी गई है।

[फा. सं. 1/2/2014-सीएल-I]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2015

G.S.R. 466(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (a) and (b) of sub-section (1) of Section 462 and in pursuance of sub-section (2) of said Section read with Section 8 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), and in supersession of notifications issued under section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government in the interest of public, hereby directs that certain provisions of the Companies Act, 2013, as specified in column (2) of the Table, shall not apply or shall apply with such exceptions, modifications and adaptations, as specified in column (3) of the said Table, to a body to which a licence is granted under the provisions of the aforesaid Section 8, namely :—

Serial Number	Provisions of the Act	Exceptions, Modifications and Adaptations
(1)	(2)	(3)
1.	Clause (24) of section 2.	The provisions of clause (24) of section 2 shall not apply.
2.	Clause (68) of section 2.	The requirement of having minimum paid-up share capital shall not apply.
3.	Clause (71) of section 2.	The requirement of having minimum paid-up share capital shall not apply.
4.	Sub-section (2) of section 96.	In sub-section (2), after the proviso and before the explanation, the following proviso shall be inserted, namely:- Provided further that the time, date and place of each annual general meeting are decided upon before-hand by the board of directors having regard to the directions, if any, given in this regard by the company in its general meeting.
5.	Sub-section (1) of section 101.	In sub-section (1), for the words "twenty one days", the words "fourteen days" shall be substituted.
6.	Section 118.	The section shall not apply as a whole except that minutes may be recorded within thirty days of the conclusion of every meeting in case of companies where the articles of association provide for confirmation of minutes by circulation.
7.	Sub-section (1) of section 136.	In sub-section (1), for the words "twenty one days", the words "fourteen days" shall be substituted.
8.	Sub-section (1) of section 149 and the first proviso to sub-section (1).	Shall not apply.